

## **भारत में राजनीतिक वंचित वर्ग**

**डॉ. अजय कुमार**

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, गुरुनानक खालसा कॉलेज, करनाल।

भारत जो की एक प्रजातांत्रिक देश है और सरकार का संसादात्मक स्वरूप रखता है वहाँ ये भी जानना जरूरी है कि क्या सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। क्योंकि भारत सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है इसलिए मतों का विभिन्न स्तरों पर बँटवारा व एकत्रीकरण होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में समाज के पिछड़े हुए वर्ग अपना उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पाते और राजनीति रूप से वंचित रह जाते हैं। देश की आजादी के बाद नई संवैधानिक व्यवस्था भंग होने के साथ ही कई वर्गों को आरक्षण दिया गया और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर होने के बावजूद भी इन वर्गों ने आरक्षण का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को प्रत्येक क्षेत्र में मजबूत किया जबकि कुछ वर्गों ने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी संख्या बल के कारण अपने लिए उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया और कुछ वर्ग अपनी ऐतिहासिक पष्ठभूमि व व्यवस्था में पकड़ के कारण उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर पाए लेकिन जो वर्ग उपरोक्त किसी भी कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए वो राजनीतिक रूप से पिछड़ते चले गए। हालांकि पूरे देश की जनसंख्या के अनुपात में इन वर्गों की संख्या काफी मात्रा में है लेकिन क्षेत्र विशेष में एक ही स्थान पर इक्वटी संख्या न होने के कारण क्षेत्र आधारित संसदीय क्षेत्रों में ये अपने सांसद, विधायक बनाने में पिछड़ गए। ये वर्ग वो वर्ग हैं जो ज्यादातर किसी कला विशेष से जुड़े व्यवसाय के साथ सम्बन्ध रखते हैं। इन्हें भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न जातियों के रूप में देखा और समझा जा सकता है। जैसे नाई, धोबी, लोहार, कुम्हार, कायस्थ, भडबूजा, सुनार, कलाल आदि। इन वर्गों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन दलितों से बेहतर है पर क्षेत्रीय स्तर पर अपनी सीमित जनसंख्या के कारण तुलनात्मक रूप से ये पिछड़ते गए हैं। दलित कहे जाने वाले वर्गों ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के रूप में विधानसभाओं व लोकसभा में अपने उचित प्रतिनिधित्व को प्राप्त कर लिया है जबकि समाज के उच्च वर्ग अपनी मजबूत स्थिति के कारण अपने लिए उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उपरोक्त विशेष कला निपुण वर्ग दोनों ही संदर्भ में पिछड़ गए हैं। न तो उसके पास SC, ST जैसा आरक्षण है और न ही उच्च वर्ग जैसी परिस्थितियाँ।

इन परिस्थितियों में इन विशेष कला निपुण वर्ग के लोगों के आगे राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि इस वर्ग के लोगों की देश भर में कुल जनसंख्या कम नहीं है। लेकिन विभिन्न जातियाँ व विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण ये सांसदात्मक व्यवस्था की क्षेत्रीय चुनाव प्रणाली में ये हाशिये पर चले जाते हैं। इस वर्ग के लिए कई बार तो आजादी के साथ जीवनयापन करना भी मुश्किल हो जाता है। कम संख्या के कारण इन्हें कई बार दूसरों की तुलना में अपने आप को कमजोर स्थिति में देखना पड़ता है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कला निपुण वर्ग के व्यक्ति ज्यादातर अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं। बुजुर्ग अपने बच्चों को राजनीति में न पड़ने की सलाह देते हैं और इस प्रकार इस वर्ग में बच्चे शुरु से ही अपने आपको राजनीतिक रूप से कम आँकना शुरु कर देते हैं।

अगर हम किसी भी संसदीय क्षेत्र विशेष का उदाहरण लें तो ज्यादातर हमें स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलेगा कि वहाँ अगर आरक्षित सीट हो तो वहाँ SC, ST वर्ग से उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। जैसा कि संवैधानिक प्रावधान है लेकिन अगर वो अनारक्षित सामान्य सीट हो तो वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले इन बहुसंख्यक जातियों के लोग होंगे जो जातियाँ उस क्षेत्र विशेष में बड़ी संख्या में होंगी और इस प्रकार पूरे देश में इसी प्रकार के हालात दिखाई देते हैं। इस व्यवस्था में बिखरी हुई जातियाँ कहीं के मुकाबले में नहीं टिक पाती। हालांकि कोई व्यक्ति विशेष अपने बहुत ज्यादा प्रयासों और संघर्ष के कारण किसी जगह टक्कर देता दिखाई देता है और अपनी कुशल राजनीतिक क्षमताओं के कारण शीर्ष पर भी पहुँच सकता है। लेकिन आमतौर पर ये कला निपुण समाज राजनीतिक रूप से हाशिए पर ही दिखाई देता है। ये वर्ग ऐतिहासिक रूप से अपनी कला कौशल के कारण राजदरबारों में उचित सम्मान पाता था और कभी-कभी अपनी राजनीतिक सूझबूझ के कारण उच्च राजनीतिक पदों को भी प्राप्त करता था तथा कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ इस वर्ग ने राजवंश स्थापित किए हैं। भारत से बाहर अगर देखा जाए तो कई देश में इस वर्ग के लोगों ने राजनीतिक रूप से उच्चतम शिखर प्राप्त किए हैं। लेकिन भारत में समाज के जातियों में बँटे होने के कारण कई बार योग्यता छुप जाती है और यदि किसी की जातिगत जनसंख्या न हो तो उसके अवसर वैसे ही सीमित होते चले जाते हैं।

विशेष रूप से तब जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। क्योंकि प्रजातंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा उसके ही राजनीतिक अधिकार ज्यादा। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही अपने लोगों को सबसे ज्यादा अधिकार प्रदान करती है लेकिन जब समाज जाति, धर्म व वर्गों में बँटा हो तो अपने लोग कौन हैं ये निर्धारित करना आसान काम नहीं रह जाता। ये सच है कि प्रजातंत्र अपने नागरिकों को सम्मान, अवसर, राजनीतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता व विकास के समान अवसर प्रदान करता है और निचले से निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी ऊँचाईयों को छू सकता है लेकिन अगर उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक भेद, विरोध और अपने परायेपन का भाव बहुत अधिक हो तो फिर समान अवसर सिर्फ कागजी बातें रह जाती हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा संविधान सभी को समान अवसर देता है और साथ ही जो वर्ग अत्यंत पिछड़े थे उन्हें भी आरक्षण का लाभ देकर सभी को समान लाने का प्रयास करता है जो कि एक उचित कदम है। लेकिन ये समाज के उन वर्गों की तरफ भी ध्यान दिया जाना जरूरी था जो भविष्य में हाशिये पर रहने वाले थे जिनके लिए दूरगामी सोच की जरूरत थी हालांकि वो सोच उस संदर्भ में दिखाई भी देती है जब संविधान संशोधन की व्यवस्था का प्रावधान संविधान में किया जाता है। लेकिन आज तक भारतीय सांसद इस संविधान संशोधन के प्रावधान के द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाई जो हम कला निपुण वर्ग को सांसद व विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिला सकें। अगर भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या की बात करें तो वो हजारों जातियों में बँटी हुई है और जिसमें ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं जिनकी जातिगत जनसंख्या बहुत कम है। किसी भी प्रांत की 1-2 प्रतिशत से भी कम लेकिन इन जातियों की कुल संख्या किसी की भी बड़ी जाति को टक्कर देने की स्थिति में होती है परन्तु छोटे-छोटे समूहों में बँटी हुई ये जातियाँ और पूरे प्रदेश में बिखरी हुई ये जातियाँ अपनी लगन, कुशलता, मेहनत और योग्यता के द्वारा पूरे प्रदेश में विकास के फूल बिखेर रही होती है लेकिन खुद किसी संसदीय क्षेत्र में निर्णायक मतों की स्थिति में न होने के कारण राजनीतिक रूप से पिछड़ रही होती है।



अगर इन जातियों में ये विचार मजबूत हो कि ये आपसी मेलजोल को बढ़ाकर व राजनीतिक समझ को विकसित करके अपने लिए उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकती हैं तो निश्चित रूप से कोई सकारात्मक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी जातियाँ पूरे देश में पाई जाने के कारण भारत की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती हैं। भारत की राजनीति में हमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन रखने को मिले हैं चाहे दलित राजनीति के हों, स्वर्ण राजनीति के हों, किसान राजनीति के हों, व्यापारी राजनीति के हों या दक्षिण भारत की हिन्दी विरोधी, या कहीं पर ब्राह्मण विरोध या अन्य किसी व्यक्ति के विरोध स्वरूप दूसरों का राजनीतिक रूप से संगठित होना हो सभी का राजनीति में अपना गहरा असर होता है।

ठीक इसी प्रकार अगर अल्पसंख्यक जातियाँ और बिखरी हुई जातियाँ भी संगठित होकर अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ें तो अपना राजनीतिक भविष्य मजबूत कर सकती हैं। भारतीय संविधान में अगर इस वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करके उचित प्रावधान किए जाएं तो इस वर्ग के हितों के साथ-साथ सम्पूर्ण भारतीय लोकतंत्र के लिए लाभकारी होगा। वैसे भी कहा जाता है कि समाज की मजबूती के लिए उसका सर्वांगीण विकास जरूरी है। अगर समाज का कोई भी वर्ग पिछड़ा रह जाता है तो समाज के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इतिहास में भी देखा गया है कि जिस देश में सामाजिक स्तर पर बहुत अधिक असमानता व भेदभाव पाया गया उस देश में क्रान्ति सबसे ज्यादा हुई जहाँ आर्थिक असमानता ने क्रान्ति को हवा दी वहीं सामाजिक असमानता ने समाज को तोड़ा और बाहरी ताकतों व हमलावरों की जीत को आसान किया। किसी समाज में फूट डालना भी उतना ही आसान होता है जितना वहाँ भेदभाव ज्यादा होता है। इसलिए जरूरी है कि भारत के सम्पूर्ण विकास व सामाजिक समानता तथा राजनीतिक स्थिरता के लिए यहाँ के सभी वर्गों को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जो वर्ग राजनीतिक रूप से वंचित है उन्हें विशेष आरक्षण देकर राजनीति सहभागिता प्रदान की जानी चाहिए।

भारत में अगर इस राजनीतिक वंचित वर्ग को उचित संरक्षण मिलेगा, अगर इसके प्रतिनिधि कानून बनाने वाली संस्थाओं का हिस्सा होंगे तो न सिर्फ समाज के राजनीतिक वंचित वर्ग के हितों के लिए नीतियाँ बन पाएंगी बल्कि भारत के विकास के लिए भी नए-नए मार्ग प्रशस्त करने वाली नीतियाँ तैयार होंगी। जो वर्ग अच्छा कला निपुण है तथा किसी विशेष विषय में कुशलता रखता है वो वर्ग जब उस विषय से जुड़ी नीतियाँ बनाएगा तो निश्चित रूप से उन नीतियों में उसकी दक्षता प्रभावकारी होंगी। आज नीति निर्धारण में एक कमी जो देखी जाती है वो ये है कि जब नीति बनाई जाती है तो वो सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले वर्ग के साथ पूर्णतया सलाह मशविरा करके या उसकी परिस्थितियों को पूर्णतया समझे बगैर भी बना दी जाती है जिसके कारण जब वो नीतियाँ लागू होती हैं तो अपना उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त करने में कई बार असफल होती नजर आती हैं। एक समस्या ये भी है कि बड़े-बड़े विषयों पर या समाज के कई वर्गों के हितों के संदर्भ में काफी नीतियाँ बनती रही हैं। कई बार संविधान में संशोधन भी हुआ है। लेकिन छोटे-छोटे विषयों पर बहुत ज्यादा नीतियाँ दिखाई नहीं देती बल्कि देश के उचित विकास के लिए नीति बनाते समय सूक्ष्म विषयों की गहरी समझ रखनी भी जरूरी है। ये जो कला निपुण वर्ग है ये देश के विभिन्न सूक्ष्म पहलुओं पर गहरी समझ भी रखता है, इसलिए इसका संसद में पहुँचना बहुत



## International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)

An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 6.4

Website: <https://ijarnt.com>

ISSN No.: 3048-9458

उचित है ताकि प्रत्येक विषय पर गहराई से चिन्तन करके नीति बनाई जा सके। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर भारत को प्रत्येक स्तर पर विकास करना है तो भारत के प्रत्येक वर्ग को आने बढ़ाना होगा। इसमें सबसे जरूरी है कि भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रजा के प्रत्येक हिस्से को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उचित राजनीतिक भागेदारी दी जाए क्योंकि अगर किसी भी वर्ग को ऊपर उठना है तो सरकार में उसकी हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए। ये एक सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो चाहे वो एक व्यापारी हो या एक किसान हो या नौकरीपेशा हो या उद्योगपति हो या राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहे या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे उसे राजनीतिक सहारे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में समाज का ये अल्पसंख्यक जाति वर्ग राजनीतिक सहारे के अभाव में स्वयं को एक प्रकार से प्रताड़ित महसूस करता है इसलिए इस वर्ग को विशेष प्रावधान करके विशेष आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि इसका सम्पूर्ण विकास हो सके और ये भी राजनीतिक रूप से वंचित न रहे। अगर ये राजनीतिक रूप से मजबूत होगा तो फिर हर क्षेत्र में मजबूत हो जाएगा।

### संदर्भ –

1. डॉ. वी.एल. फडिया और डॉ. कुलदीप फडिया, प्रमुख पत्रि चमी राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक हाऊस, जयपुर, 2007
2. बार्कर, ग्रीक पालिटिकल थ्योरी, लंदन, 1752
3. ज्योतिप्रसाद सुदा, ए हिस्ट्री ऑफ पालिटिकल थोट, के साथ एण्ड कंपनी, मेरठ, 1997–98
4. फडिया